प्रार्थीगण

बनाम

01. धीरीलाल पुत्र जीतमल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
02. शंकर पुत्र मूणलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
03. रमेश पुत्र मूणलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
04. शान्तिबाई पुत्री मूणलाल जाति धाकड उम्र बालिग निवासी बृजपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
05. सुशीला पुत्री प्यारचन्द जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सूरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
06. सोहनलाल पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सूरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
07. प्रेम पुत्री प्यारचन्द जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सूरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
08. मांगीलाल पुत्र प्यारचन्द जाति धाकड उम्र बालिग निवासी सूरजविलास तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
09. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलिया।

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

— : आदेश : —

दिनांक 9 / 5 / 2022

प्रार्थना पत्र प्रार्थी लक्ष्मण पुत्र अमरचन्द जाति धाकड उम्र बालिग निवासी पीपल्दा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 ने जरिये अभिभाषक श्री गिरधारीलाल आचार्य प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम बृजपुरा पटवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 188 रकबा 0.6637 हेक्टेयर आराजी नम्बर 202 रकबा 0.1619 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.8256 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2073– 2076 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार / गैर खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बावत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम बृजपुरा टवार हल्का तिलस्वां तहसील बिजौलियां में आराजी नं0 188 रकबा 0.6637 हेक्टेयर आराजी नम्बर 202 रकबा 0.1619 क्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.8256 हैक्टेयर भूमि की बशामलात सभी काश्तकारान एवं पडोसीयान को सूचित करते हुए थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 / – रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ हसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें। भू0अ0नि0 बिजौलियां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। फीस 500 / – रूपये त पत्थर गढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

(सीमा तिवाड़ी)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया